खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

विभागीय अपील

श्री आतिश सिन्हा बनाम बिहार सरकार

आदेश

अपीलार्थी श्री आतिश सिन्हा उपस्थित।

7.08.2025

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि
प्रशाखा पदाधिकारी श्री अमित रंजन उपस्थित

प्रस्तुत अपीलवाद अपीलार्थी श्री आतिश सिन्हा, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, कल्याणपुर, समस्तीपुर–सह–प्रभारी समस्तीपुर सदर सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, के0 नगर, पूर्णिया के द्वारा दायर किया गया है। यह अपीलवाद अपीलार्थी के द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प ज्ञापांक–1025/पटना, दिनांक–28.03.2007 के द्वारा निर्धारित प्रावधान के तहत दायर किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का आदेश ज्ञापांक–1/199895/2025 दिनांक–04.02.2025 में पारित आदेश जो निम्न प्रकार से है, के विरूद्ध दायर किया गया है –

''अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री आतिश सिन्हा, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, कल्याणपुर, समस्तीपुर–सह–प्रभारी समस्तीपुर सदर सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, के0 नगर, पूर्णिया के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत 02 (दो) वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने की शास्ति विनिश्चित की गयी है।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड के आलोक में श्री आतिश सिन्हा, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, कल्याणपुर, समस्तीपुर–सह–प्रभारी समस्तीपुर सदर सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, के0 नगर, पूर्णिया के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत 02 (दो) वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड संसूचित एवं अधिरोपित करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।''

उपलब्ध अभिलेखों, संलग्न कागजात, अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से संक्षेप में वस्तुस्थिति इस प्रकार से है –

1. अपीलार्थी जब आपूर्ति निरीक्षक के पद पर कल्याणपुर, समस्तीपुर में पदस्थापित थे तो उनके द्वारा श्री अमोल कुमार, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, FPS No. 122100201017 एवं कार्यपालक सहायक/कॉर्डिनेटर की मिली–भगत से सुनियोजित तरीके से MO Login एवं Password का दुरूपयोग कर राशन कार्डधारियों के नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न का अनुचित ढंग से उठाव/Transaction किये जाने, सरकार द्वारा संचालित जन–कल्याणकारी योजना का गलत ढंग से लाभ उठाकर सरकारी राशि का दुरूपयोग/विचलन करने, विभागीय निदेशों की अवहेलना, कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता जैसे आरोपों के लिए विभाग स्तर से इनके विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय ज्ञापांक–4706 दिनांक–26.10.2023 द्वारा श्री सिन्हा से लिखित अभिकथन/बचाव बयान की माँग की गयी। श्री सिन्हा द्वारा लिखित अभिकथन/बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प संख्या–547 दिनांक–30.01.2024 द्वारा प्रस्तुत मामले की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)

नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए उप निदेशक (खाद्य), कोशी प्रमंडल, सहरसा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक–34 दिनांक–17.09.2024 द्वारा प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराते हुए श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप यथा–कार्यपालक सहायक/कॉर्डिनेटर की मिली–भगत से Login एवं Password का दुरूपयोग करने, को आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित करते हुए अंकित किया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा स्पष्ट किया है कि Login एवं Password व्यवहारिक तौर पर कार्यपालक सहायक के पास रहता है। जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा कार्यपालक सहायक की मिली–भगत से उक्त कार्य को किया गया है, जो विभागीय निदेशों का उल्लंघन है। MO Login एवं Password का दुरूपयोग कर कुल–48 कार्डधारियों के लिए एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बनाकर खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु श्री सिन्हा द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री अमोल कुमार, कार्यपालक सहायक श्री अजीत कुमार एवं ब्लॉक कोर्डिनेटर श्री अजय कुमार के विरूद्ध 7 EC Act एवं 66 9(D) IT Act के तहत नगर थाना काण्ड संख्या–197/23 दिनांक–26.07.2023 दर्ज की गई है। अतएव पूरे प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। सैद्धान्तिक रूप से MO Login एवं Password के रख–रखाव, उपयोग/दुरूपयोग की जिम्मेवारी संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक की होती है। फलतः आरोप संख्या–01 आंशिक रूप से प्रमाणित होता है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक–163375 दिनांक–09.10.2024 द्वारा श्री सिन्हा से द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब/बचाव बयान की माँग की गयी।

श्री सिन्हा द्वारा दिनांक–04.11.2024 को अपना द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब/बचाव बयान विभाग को समर्पित किया एवं स्वयं के विरूद्ध प्रमाणित आरोप का खंडन कर मुख्य रूप से अंकित किया कि मेरे द्वारा M.O. Login/Password का कभी भी दुरूपयोग नहीं किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर ने भी अपने पत्रांक–964 दिनांक–14.07.2023 द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि "विक्रेता के द्वारा कार्यपालक सहायक/स्थानीय कोर्डिनेटर के मदद से नॉमिनी जोड़ने का कार्य विभागीय नियम के विरूद्ध किया गया है।" विभाग के स्तर से उक्त द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब/बचाव बयान का समीक्षा किया गया एवं यह पाया गया कि MO Login/Password का रख–रखाव, सुरक्षा की जिम्मेवारी सैद्धान्तिक रूप से संबंधित श्री सिन्हा की थी उनसे MO Login/Password कार्यपालक सहायक/कोर्डिनेटर को किस तरह से प्राप्त हुई कि उनके द्वारा फर्जी तरीके से 48 राशन कार्ड में एक ही नॉमिनी का नाम जोड़ दिया गया।

अतः श्री सिन्हा के द्वारा समर्पित बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। फलतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उपरोक्त प्रमाणित आरोप के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत 02 (दो) वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने की शास्ति विनिश्चित की गयी।

अपीलार्थी के द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर अपीलवाद की सुनवाई में लिखित रूप से अपना पक्ष समर्पित किया गया है, जो इस प्रकार से है –

1. प्रभारी आपूर्ति निरीक्षक, समस्तीपुर सदर, समस्तीपुर के पदस्थापन काल में समस्तीपुर प्रखंड अन्तर्गत उनसे MO Login/Password का उपयोग कर 48 राशन कार्डधारियों को एक नॉमिनी के साथ जोड़ने एवं 42 लाभुकों के खाद्यान्न का उठाव नॉमिनी द्वारा कराये जाने की जाँच अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर के द्वारा संयुक्त जाँच टीम के द्वारा करायी गयी थी।
2. जाँच के क्रम में यह पाया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री अमोल कुमार द्वारा कार्यपालक सहायक की मिली–भगत से उक्त कार्य को किया गया। विक्रेता श्री कुमार द्वारा लिखित रूप से इस अपराध को स्वीकार किया गया है तथा उनलोगों के विरूद्ध नगर थाना, समस्तीपुर में प्राथमिकी संख्या–197/23 दिनांक–26.07.2023 दर्ज करायी गयी है।
3. विक्रेता श्री अमोल कुमार द्वारा माह अप्रैल का खाद्यान्न उठाव दिनांक–29–30 अप्रैल का माह मई का उठाव 02–03 मई को तथा माह जून, 2023 का उठाव 21.06.2023 को नॉमिनी के

द्वारा किया गया है। 02 मई 2023 को समस्तीपुर सदर में पदस्थापित सुश्री कृति कुमारी के योगदान करने के उपरांत मैं वहाँ कार्यरत नहीं था।

4. विक्रेता श्री अमोल कुमार से संबद्ध राशन कार्डधारियों को नॉमिनी के साथ जोड़ने/अपडेट करने हेतु मेरे द्वारा कोई अनुमति/अनुमोदन नहीं किया गया था। चूँकि इस प्रक्रिया में OTP का कोई प्रावधान नहीं था। इस कारण विक्रेता द्वारा किये गये नियम विरूद्ध कार्य की जानकारी ससमय नहीं हो सकीं।
5. दिनांक–30.04.2023 की शाम में विक्रेता द्वारा नॉमिनी जोड़ने की सूचना अनौपचारिक रूप से प्राप्त होने पर दिनांक–30.04.2023 को ही विक्रेता को वास्तविक तथ्यों से अवगत कराने का निदेश दिया, परन्तु 01.05.2023 को मई दिवस का सार्वजनिक अवकाश तथा 02.05.2023 को उक्त प्रखंड में नये, उनसे MO के योगदान कर लिये जाने के कारण मेरे निदेश का अनुपालन विक्रेता द्वारा नहीं किया गया।
6. प्रस्तुत मामले में दोषियों को चिन्हित करते हुए संबंधित विक्रेता, कार्यपालक सहायक एवं संबंधित ब्लॉक कॉर्डिनेटर के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी जा चुकी है।
7. उपरोक्त कार्रवाई एवं दोषियों को चिन्हित किये जाने के बावजूद भी सिर्फ सैद्धान्तिक रूप से MO Login/Password के रख–रखाव, उपयोग/दुरूपयोग की जिम्मेवारी संबंधित MO की होती है, के आधार पर आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित मानते हुए दो (02) वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया है, जो मेरे साथ घोर अन्याय है, क्योंकि मैं इस मामले में कहीं से भी संलिप्त नहीं रहा हूँ और ना ही मैंने कोई नियम विरूद्ध कार्य किया है और ना ही किसी गलत/नियम विरूद्ध कार्य के लिए कभी किसी को बढ़ावा दिया है।

अभिलेख की समीक्षा की गई एवं अपीलार्थी के द्वारा बचाव बयान का भी अवलोकन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर को संदिग्ध राशन कार्ड की जाँच–प्रतिवेदन जो उनके पत्रांक–964/आपूर्ति, समस्तीपुर दिनांक–14.07.2023 से प्राप्त है, का भी अवलोकन किया गया है, जिसमें स्पष्ट है कि उनके द्वारा एक टीम गठित कर सम्पूर्ण मामले की जाँच करायी गयी। फलतः श्री अमोल कुमार, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, FPS No. 122100201017, वार्ड नं0–22, शहरी क्षेत्र, समस्तीपुर के द्वारा कुल–48 लाभुकों का नॉमिनी एक ही व्यक्ति को बनाकर खाद्यान्न की आपूर्ति की गयी। इसके लिए स्पष्टतः MO Login/Password का दुरूपयोग किया गया, जिसके लिए कार्यपालक सहायक, ब्लॉक कॉर्डिनेटर, संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता मुख्य रूप से दोषी परिलक्षित होते हैं।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–3257/खाद्य, पटना दिनांक–25.07.2023 के द्वारा जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर दोषी कार्यपालक सहायक, सेवा प्रदाता कंपनी के ब्लॉक कॉर्डिनेटर एवं संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया गया, जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर ने अपने पत्रांक–1009/आ0, समस्तीपुर दिनांक–26.07.2023 के द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर को उपरोक्त अनियमितता के लिए संबंधित के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया गया। तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर श्री अरूण कुमार के द्वारा नगर थाना समस्तीपुर में थाना कांड संख्या–197/23 दिनांक–26.07.2023 के द्वारा 7 EC Act एवं 66 9(D) IT Act के तहत जन वितरण प्रणाली विक्रेता अमोल कुमार, कार्यपालक सहायक, अजीत कुमार एवं ब्लॉक कॉर्डिनेटर अजय कुमार के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

फलतः प्रश्नगत मामले में संबंधित पदाधिकारी के द्वारा विधि–सम्मत् कानूनी कार्रवाई की गयी। प्रस्तुत मामले में श्री आतिश सिन्हा, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, कल्याणपुर, समस्तीपुर–सह–प्रभारी आपूर्ति निरीक्षक, समस्तीपुर की अपराधिक मिलीभगत साबित नहीं हो पा रहा है, जिसके आलोक में उनके द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष समर्पित बचाव बयान को स्वीकार योग्य पाया गया। अतएव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का आदेश–1/199895/2025 से

संसूचित दण्ड जिसके तहत श्री आतिश सिन्हा, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, कल्याणपुर, समस्तीपुर–सह– प्रभारी आपूर्ति निरीक्षक, समस्तीपुर सदर सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, के0 नगर, पूणिया के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत 02 (दो) वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड संसूचित आदेश को निरस्त (set aside) किया जाता है। फलस्वरूप प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अभिलेख पुनर्विचार हेतु Remand किया जाता है, जो अपीलार्थी को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करें।

अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित	
ह0/–	ह0/–
(लेशी सिंह)	(लेशी सिंह)
मंत्री,	मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–सह–	–सह–
अपीलीय प्राधिकार	अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(समस्तीपुर)–11/2023– 2181 खाद्य, पटना/दिनांक– 01.09.2025
प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/समस्तीपुर/उप निदेशक (खाद्य), कोशी प्रमंडल, सहरसा–सह–संचालन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर–सह–साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी /आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना तथा श्री आतिश सिन्हा, आपूर्ति निरीक्षक, के0 नगर, पूणिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(समस्तीपुर)–11/2023– 2181 खाद्य, पटना/दिनांक– 01.09.2025
प्रतिलिपि– माननीय मंत्री कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव ।